

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5423

जबलपुर, दिनांक 09/10/2018

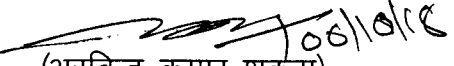
निम्नलिखित आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्त नियम 1976 के नियम 4(एक) के अंतर्गत 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेश दिनांक 03.10.2018 से नवगठित सेवा के सदस्य(माली) के रूप में, वेतनमान रुपये 4440-7440 + ग्रेड पे रु. 1300/- में निम्नांकित शर्तों पर व्यववर्तित करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	पदोन्नत पद का पदनाम
1	2	3
1.	श्री आनंद कुमार नामदेव आत्मज श्री रघुनंदन प्रसाद नामदेव	माली
2.	श्रीमती रीतू आत्मा पति स्व. श्री अशोक आत्मा	माली
3.	श्री संतोष कुमार प्रजापति आत्मज श्री इमरत लाल प्रजापति	माली
4.	श्री रविशंकर रैकवार आत्मज श्री भवानी शंकर रैकवार	माली
5.	श्री राममणि कुशवाहा आत्मज श्री लालमणि कुशवाहा	माली
6.	श्री धर्मराज पाल आत्मज श्री मुल्लुर पाल	माली
7.	श्री उज्जवल गौतेल आत्मज श्री धनीराम गौतेल	माली
8.	श्री शिवकुमार कुशवाहा आत्मज श्री गोमती प्रसाद कुशवाहा	माली
9.	श्री संजय कुमार तिवारी आत्मज श्री गौरीशंकर तिवारी	माली
10.	श्रीमती लक्ष्मी रजक पति श्री राजकुमार रजक	माली
11.	श्री संजय कुमार कुशवाहा आत्मज स्व. श्री परागराम कुशवाहा	माली
12.	मो. याकूब छीपा आत्मज स्व. मो. सगीर	माली
13.	श्री विनोद कुमार कुशवाहा आत्मज श्री द्वारका प्रसाद कुशवाहा	माली
14.	श्री बाबूलाल कुशवाहा आत्मज श्री बाल्मीक कुशवाहा	माली

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
2. यह कि कर्मचारी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारी दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
3. यह कि, उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13-04-2005 के अनुसार पारिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी।
4. यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगे।

5. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के अग्रिम अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होंगे, स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
6. यह कि उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तौर पर है तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना कारण बताये समाप्त कर दी जावेगी।
7. यह कि, उनकी नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की जाती है कि उन्हें अपनी स्वास्थ्यता का प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र विपरीत पाये जाने पर कर्मचारी की सेवायें समाप्त की जावेगी।
8. कर्मचारी को यह स्वीकार करना होगा कि प्रशासनिक आवश्यकता समझी जाने पर उन्हें खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर की स्थापना पर सेवा करने हेतु स्थानांतरित किया जा सकेगा।
9. कर्मचारी को समय-समय पर पारित हिदायतों का कर्तव्यनिष्ठा के साथ पालन करना होगा।
10. यह कि, यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
11. कर्मचारी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे, वे भी उसे मान्य होंगे।
12. यह कि उपरोक्त कर्मचारी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार,


(अरविन्द कुमार शुक्ला)

रजिस्ट्रार जनरल

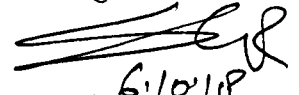
जबलपुर, दिनांक 09/10/2018

पृष्ठांकन B/5424

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.) / रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. अनुभाग अधिकारी स्थापना / लेखा / बजट / पेंशन / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
11. सहायक, स्थापना / अवकाश / सेवा पुस्तिका / वेतन पत्रक / डी.पी.एफ. / प्रोटोकॉल ऑफीसर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. श्री आनंद कुमार नामदेव आत्मज श्री रघुनंदन प्रसाद नामदेव, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
13. श्रीमती रीतू आत्मा पति स्व. श्री अशोक आत्मा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
14. श्री संतोष कुमार प्रजापति आत्मज श्री इमरत लाल प्रजापति, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
15. श्री रविशंकर रैकवार आत्मज श्री भवानी शंकर रैकवार, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
16. श्री राममणि कुशवाहा आत्मज श्री लालमणि कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
17. श्री धर्मराज पाल आत्मज श्री मुल्लुर पाल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,

18. श्री उज्जवल गौतेल आत्मज श्री धनीराम गौतेल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 19. श्री शिवकुमार कुशवाहा आत्मज श्री गोमती प्रसाद कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 20. श्री संजय कुमार तिवारी आत्मज श्री गौरीशंकर तिवारी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 21. श्रीमती लक्ष्मी रजक पत्नि श्री राजकुमार रजक, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 22. श्री संजय कुमार कुशवाहा आत्मज स्व. श्री परागराम कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 23. मो. याकूब छीपा आत्मज स्व. मो. सगीर, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 24. श्री विनोद कुमार कुशवाहा आत्मज श्री द्वारका प्रसाद कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 25. श्री बाबूलाल कुशवाहा आत्मज श्री बाल्मीक कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


 6.10.18
 (सतीश चन्द्र राय)
 रजिस्ट्रार(प्रशासन)